हरियाणा सरकार

रक्षा सेवायें कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिनांक 10 मार्च, 2003

संख्या सा.का.नि.4/संवि.अनु.309/2003--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग राज्य (ग्रुप क) सेवा नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

1. ये नियम हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग राज्य (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम , 2003 कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा रक्षा सेवा कल्याण विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1999 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

" 9. भर्ती का ढंग.-- (1) सचिव, जिला सैनिक बोर्ड की दशा में, सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; और
(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) जब कभी कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रीति निर्धारित करेगा जिसमें रिक्ति भरी जाएगी । " ।

3. उक्त नियमों में, नियम 11 में, तीसरे परन्तुक में,--

(i) खण्ड (क) में, " पदोन्नति या" शब्दों का लोप कर दिया जायेगा ;
(ii) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जायेगा ;
(iii) खण्ड (ग) में, प्रथम तथा तीसरी पंक्ति में क्रमशः "पदोन्नति अथवा" तथा "पदोन्नति या" का लोप कर दिया जायेगा ।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क में, खाना 1,2,3,4 तथा 5 के नीचे क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने की प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,--

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना 4 के नीचे, "पदोन्नति द्वारा" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा ;

(ii) खाना 1,2,3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने की प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा ;

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने की प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा ।

ए0 एन0 माथुर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

(**Authorised English Translation)**

HARYANA GOVERNMENT
DEFENCE SERVICES WELFARE DEPRTMENT
Notification
The 10th March, 2003

No.G.S.R.4/Const.Art309/2003.- In exercise of the powers conferred by the poviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Defence Service Welfare Department State (Group A) Service Rules, 1999, namely:--

1. These rules may be called the Haryana Defence Service Welfare Department State (Group A) Service (Amendment)Rules, 2003.

2. In the Haryana Defence Service Welfare Department State (Group A) Service Rules, 1999, (hereinafter called the said rules), for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:--

"9. Method of recruitment—(1) Recruitment to the Service, in case of Secretary, Zila Sainik Board, shall be made,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) As and when any vacancy occurs or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the manner in which the same shall be filled in."

3. In the said rules, in rule 11, in the third proviso,--

(i) in clause (a), the words "by promotion or" shall be omitted,

(ii) clause (b) shall be omitted :

(iii) in clause (c), in line one and fourth, the words "by promotion or and "promoted or" shall respectively by omitted.

4. In the said rules, in Appendix A, under column 1,2,3,4,5 and 6 serial number 2 and entries thereagainst shall be omitted.

5. In the said rules, in Appendix B.—

(i) against serial No.1, under column 4, heading "By Promotion" and entry thereunder shall be omitted:

(ii) under columns 1,2,3 and 4 serial No.2 and entries thereagainst shall be omitted.

6. In the said rules, in Appendix C and D, under columns 1 and 2, serial number 2 and entry thereagainst shall be omitted.

A.N.MATHUR
Chief Secretary to Government Haryana.